कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0
परिपत्र स0 C-53 / अधि0–11 / पैक्स कर्मचारी दिनांक ~~अगस्त~~ 27/9/2021

1. समस्त उप / संयुक्त आयुक्त एवं उप / संयुक्त निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
3. समस्त सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।
4. समस्त सभापति,
   सम्बन्धित जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।
5. समस्त सचिव
   प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समिति लि0, उ0प्र0।
   द्वारा– सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।
6. समस्त सभापति
   प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समिति लि0, उ0प्र0।
   द्वारा– सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।

विषय–उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) कर्मचारी सेवा विनियमावली 2020 के प्रस्तर 09 (1) के अन्तर्गत भर्ती की प्रकिया के मार्गदर्शक सिद्धांत।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्रांक सी–11 / अधि0–11(2–196–2–III) दिनांक 08.09.2020 का संन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश मे संचालित पैक्स के कर्मचारियों हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स) कर्मचारी सेवा विनियामावली, 2020 संलग्न कर प्रेषित की गयी है। उक्त नियमावली के नियम स0 9(1) के अन्तर्गत व्यवस्था है कि नियुक्ति हेतु मार्गदर्शी सिद्वान्त आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता द्वारा जारी किया जायेगा।

उक्त के कम में निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्वान्त निर्गत किया जा रहा है, जिसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें :–

1. विनियमावली 2020 के विनियम सं0–3 में निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार स्वीकृत पदो के सापेक्ष रिक्तियो का अवधारण सम्बन्धित पैक्स की प्रबन्ध कमेटी (नियुक्ति प्राधिकारी) करेगी तथा विनियम–8(1) द्वारा गठित चयन समिति को चयन हेतु अनुरोध पत्र भेजेगी।
2. सभी रिक्तियो वाली पैक्स से सूचना प्राप्त होने के पश्चात् चयन समिति विज्ञापन प्रकाशित करेगी। यह विज्ञापन कम से कम 02 राष्ट्रीय / क्षेत्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्रो, उप / संयुक्त आयुक्त एवं उप / संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता (सम्बन्धित जनपद), सचिव / मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सम्बन्धित जिला

सहकारी बैंक), सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय तथा पैक्स कार्यालय विज्ञापन प्रकाशित/चस्पा कराया जायेगा।

3. आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है।
4. प्रति अभ्यर्थी आवेदन शुल्क अधोलिखित विवरण के अनुसार लिया जायेगा :–

सामान्य अभ्यथी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 500.00 मात्र
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	रू0 250.00 मात्र

5. आवेदन करने की अवधि विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 01 माह (30 दिन) होगी।
6. भर्ती लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की होगी। कुल 120 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1.25 अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 अंक की कटोती की जायेगी। प्रश्न पत्र 150 अंको का होगा। परीक्षा की अवधि 02 घंटे होगी।
7. प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे जिसमे से कोई एक उत्तर सही होगा। प्रश्न पत्र तैयार कराने एवं उसकी गोपनीयता बनाये रखने की पूर्ण जिम्मेदारी चयन समिति द्वारा नामित परीक्षा प्रभारी की होगी।
8. परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य परीक्षा एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा।
9. परीक्षा की विषयवस्तु अधेलिखित होगी :–

	प्रश्न	अंक
(1) सामान्य अध्ययन	30 प्रश्न	37.5
(2) सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी	30 प्रश्न	37.5
(3) सामान्य गणित/रीजनिंग	30 प्रश्न	37.5
(4) विभागीय/विषय सम्बन्धित जानकारी	30 प्रश्न	37.5

विषयवस्तु के पाठ्यकम का विवरण निम्नवत् है:–

1. सामान्य गणित/रीजनिंग

- संख्या पद्धति
- लाभ व हानि, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात, समय व दूरी।
- ब्याज
- सांख्यिकी

2. सामान्य अध्ययन

- भारतीय इतिहास (प्राचीन,मध्यकालीन,आधुनिक) एंव संस्कृति
- भारतीय भूगोल (नदियां, घाटी, पर्वत, बांध, प्रदेश एवं उनकी राजधानी)
- भारतीय राजव्यवस्था (संविधान, प्रस्तावना, लेख आलेख दफा, अनुच्छेद, संसद एवं राष्ट्रपति)
- सम सामयिकी आखरी 06 माह के।

3. सामान्य हिन्दी

- वाक्य निर्माण, मुहावरे/लोकोक्तियाँ
- अनेक शब्दो के लिये एक शब्द
- पर्यायवाची, विलोम शब्द

- विशेष्य / विशेषण
- समान उपयोग और समान प्रकृति वाले शब्द

4. विभागीय / विषय सम्बन्धित जानकारी
- अल्पकालीन सहकारी ऋण ढांचा
- ब्याज दरे
- सहकारी आंदोलन
- बैंकिंग शब्दावली
- पैक्स को सुदृढ़ करने के उपाय।
- सामान्य लेखा नियम

5. सामान्य अंग्रेजी
   - Unseen Passage (Question, Fill in the Blanks, One Word Substitution, symomyms and Antonyms)
   - Idioms And Phrses
   - Active Passive Voice
   - Direct and indirect Speech

परीक्षा का विषय वस्तु हाई स्कूल स्तर का होगा।

10. चयन समिति अपने सदस्यो मे किसी एक को परीक्षा प्रभारी नामित करेगी, जो अपर जिला सहकारी अधिकारी के पद से न्यून न होगा।
11. परीक्षा ऐजन्सी का चयन कोटेशन / टेण्डर के माध्यम से किया जायेगा।
12. साक्षात्कार नही होगा केवल लिखित परींक्षा के आधार पर चयन होगा।
13. प्रश्न पुस्तिका चार श्रृंखलाओ (a,b,c,d) मे होगी। अभ्यार्थियो को परीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। ओ0एम0आर0 शीट की दो प्रतियाँ होंगी जिसमे से कार्बन प्रति अभ्यार्थी परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाएगा।
14. परीक्षा जिला स्तरीय परीक्षा केन्द्रो पर सम्पन्न होगी।
15. आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख न मागें जाय। चयन के पश्चात उनका अभिलेख देखा जायेगा एवं मांगा जायेगा जिनको नियमानुसार भौतिक सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
16. परीक्षा केन्द्रो का चयन, चयन समिति द्वारा किया जायेगा एक परीक्षा केन्द्र पर अधिकतम 500 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाये।
17. परीक्षा केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति की जायेगी।
18. परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु स्थानीय जिला प्रशासन से सहयोग लिया जायेगा।
19. आवेदन पत्र आमंत्रण की तिथि समाप्त होने के बाद से 90 दिन के भीतर परीक्षा आयोजित की जायेगी।
20. संस्थावार अभ्यथियो का आवंटन उनकी प्राथमिकता के कम मे श्रेष्ठता (Merit) के आधार पर किया जायेगा।
21. परीक्षा आयेजित होने की तिथि से 07 दिन के भीतर परीक्षा परिणाम मेरिट के आधार पर संस्थावार घोषित किया जायेगा।

24. समिति चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन के भीतर निर्धारित रूप पत्र पर नियुक्ति पत्र निर्गत करेगी।

25. नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिनो के भीतर अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा।

26. कार्यभार ग्रहण करने की अवधि अधिकतम 02 बार 30–30 दिन के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से बढायी जायेगी।

27. विस्तारित अवधि के भीतर योगदान न करने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी के अभ्यर्थन को निरस्त कर देगी तथा अभ्यर्थी को सूचित कर देगी अभ्यर्थन निरस्त होने के पश्चात पद से धारणाधिकरण समाप्त हो जायेगा।

28. परीक्षा आनलाइन/आफलाइन होगी।

29. अधियाचन प्रपत्र, आवेदन पत्र का प्रारूप और नियुक्ति आदेश की नमूना प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

ह०/-

(बी० एल० मीणा)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

परिपत्रांक-53 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० लखनऊ।
2. समस्त योजनाधिकारी, सहकारिता, उ०प्र० मुख्यालय, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
4. वेबमास्टर, सहकारिता, उ०प्र० मुख्यालय, को इस आशय से कि वे परिपत्र विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(बैंकिंग)
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

<u>अधियाचन प्रपत्र</u>

1. (क) समिति का पूरा नाम व पता –
   (ख) उसकी निबन्धन सख्या तथा निबन्धन का दिनांक–
2. (क) भरे जाने वाले पद का नाम–
   (ख) भरे जाने के लिए अपेक्षित पदो की सख्या–
   (ग)पद का प्रकार नियमित या अस्थायी
   (घ) पद का वेतनमान–
   (उ0प्र0 प्रा0कृषि0ऋण सह0समि0 पैक्स कर्मचारी सेवा विनयामावली 2020 के नियम 13 के प्राविधानानुसार)
3. क्या भरी जाने वाली रिक्ति स्वीकृत पद सख्या के भीतर है–
4. स्वीकृति पद सख्या हेतु समिति की प्रबन्ध कमेटी के संकल्प तथा निबन्धक के अनुमोदन की प्रति संलग्न करे।
5. निबन्धक के उस आदेश की प्रति संलग्न की जाये जिसमे धारा 120 के अधीन पदो के लिए अर्हताये निर्धारित हो–
6. चयन किये गये अभ्यर्थियो से कार्यभार ग्रहण कराना कब से अपेक्षित है–
7. सीधी भर्ती मे आरक्षित पदो का विवरण–
8. अभ्यर्थी की नियुक्ति का स्थान–

टिप्पणी– प्रत्येक पद के अलग–अलग अधियाचन अलग–अलग भेजा जायेगा।

दिनांक–

अधियाचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
सचिव का नाम व पद (मुहर सहित)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

1. आवेदित पद का नाम--
2. अभ्यर्थी का नाम--
3. पिता/पति का नाम--
4. लिंग
5. वैवाहिक स्थिति
6. राष्ट्रीयता--
7. अधिवास--(प्रदेश का नाम)
8. वर्ग--
9. उप श्रेणी
10. क्या आप वर्तमान मे किसी सहकारी समिति के कर्मचारी है-- हां अथवा नही।
11. जन्म तिथि--
12. स्थायी पता--(पिन कोड सहित)
13. स्थानीय /पत्राचार का पता (पिन कोड सहित)
14. मोबाइल न0--
15. ईमेल आई0डी0
16. शैक्षिक योग्यता--

परीक्षा का नाम	परीक्षा वाली संस्था का नाम बोर्ड / वि0वि0	वर्ष	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

17. अभ्यर्थी का फोटो।
18. तैनाती के स्थान / समिति की प्राथमिकता का कम/ विकल्प
19. मै घोषणा करता हू /करती हूं कि--

1. मैने विज्ञप्ति में अंकित पात्रता की शर्ते सावधानी पूर्वक पढी है। वे सभी मुझे मान्य है और उक्त शर्त मै पूरा करता हूं / करती हूं।
2. इस आवेदन पत्र मे मेरे द्वारा दिये गये समस्त विवरण / सूचनाये सत्य एवं सही है और मैने इन सभी तथ्यो / विवरणो / सूचनाओ मे कोई तथ्य छिपाया नही है। कोई तथ्य/ विवरण / सूचनायें असत्य अथवा गलत या वांछित अर्हता/ योग्यता के विपरीत पाये जाने पर अथवा मेरे द्वारा छिपाये जाने पर मेरा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाय। यदि नियुक्ति के पश्चात भी किसी तरह की अनर्हता प्रकाश मे आती है तो ऐसी स्थिति मे मेरी सेवाये समाप्त कर दी जाये।
3. मै घोषणा करता हू / करती हूं कि मुझे किसी न्यायालय / संस्था/ विश्व विद्यालय शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा किसी अपराध के लिए न तो दण्डित किया गया है और न ही अनर्ह किया गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

आदेश

उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 (पैक्स) कर्मचारी सेवा विनियमावली 2020 के नियम 8(1) के अन्तर्गत चयन समिति के पत्रांक .... /दिनांक.................... के कम में समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा पारित संकल्प स0... ....दिनांक................ सा0सह0समि0लि0........................विकास खण्ड............... जनपद–.......................मे श्री/श्रीमती/सुश्री.........................पुत्र/पत्नी/पिता............ ...निवासी.......................को ....पद पर वेतनमान........................प्रतिमाह पर अस्थायी रूप से निम्न लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन नियुक्त किया जाता है–

1. इनकी सेवाए पूर्णतया अस्थायी है, जो किसी समय एक माह के पूर्व नोटिस अथवाएक माह का वेतन का भुगतान कर समाप्त की जा सकती है।
2. उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 (पैक्स) कर्मचारी सेवा विनियमावली 2020 के नियम 11(1)(2)(3) के अन्तर्गत इनकी सेवाए एक वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन (प्रोवेशन) पर होगी, किन्तु सेवाए सन्तोष जनक न पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इनकी परिवीक्षा अवधि अधिकतम् बढायी जा सकती है।
3. श्री/श्रीमती/सुश्री...................... को उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 (पैक्स) कर्मचारी सेवा विनियमावली 2020 के नियम 12 मे इस पद हेतु उल्लिखित धनराशि की जमानत देनी होगी।
4. उनकी नियुक्ति इनके चरित्र/ आचरण के सम्बन्ध मे प्राप्त होने वाली पुलिस रिर्पोट के अधीन होगी। प्रतिकूल रिर्पोट प्राप्त होने पर इनकी सेवाए समाप्त की जा सकती है। योगदान करते समय उन्हे इस आशय की लिखित अन्डरटेकिगं भी देनी होगी, कि इनके आचरण/ चरित्र के विषय मे ऐसी कोई प्रतिकूल बात नही है, जो समिति मे इनकी नियुक्ति पर अन्यथा प्रभाव डाले।
5. समिति से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य सेवा– व्यापार, अन्य संस्था मे आवेदन पत्र प्रेषित नही कर सकेगें।
6. यदि इनके किसी आचरण अथवा लापरवाही से समिति को किसी प्रकार की क्षति (आर्थिक या अन्य) होती है, तो ऐसी क्षति के लिए पूर्व जिम्मेदार होगें।
7. इनकी सेवाए उ0प्र0 सहकारी समिति 1965 की धारा 121 के अधीन निर्मित उ0प्र0 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति लि0 (पैक्स) कर्मचारी सेवा विनियमावली 2020 मे दिये गये नियमो एवं उपबन्धो तथा समय–समय पर होने वाले संशोधनो अधीन होगी।
8. इनकी नियुक्ति मे किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नही होगा।
9. योगदान देने से पूर्व उन्हे निम्नलिखित प्रपत्र जमा करना अनिवार्य होगा:–
   (क) इमानदारी तथा गोपनीयता सम्बन्धी प्रमाणपत्र

(ग) किन्ही 02 राजपत्रित अधिकारी, जो सम्बन्धी न हो, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र।

(घ) अपनी जन्म तिथि का घोषणा पत्र ऐसी तिथि जो हाई स्कूल प्रमाण पत्र अथवा सर्मथन मे दिये गये अन्य अभिलेखो मे दी गयी तिथि से भिन्न नही होगी, तथा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रो की प्रमाणित प्रतिलिपियां (मूल प्रतियां मिलान हेतु योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा)।

10. वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी घोषणा पत्र।
11. वर्तमान मे अभ्यर्थी के पास चल अचल सम्पत्ति का विवरण।
12. स्थायी निवास का पता साक्ष्य सहित।
13. एक माह के अन्दर योगदान नही कराने की स्थिति मे पर्याप्त औचित्त, आधार एवं कारण प्रस्तुत करने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक – एक माह के लिए अधिकतम दो बार योगदान ग्रहण अवधि विस्तारित किया जायेगा।

    विस्तारित अवधि के भीतर भी योगदान न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व................का होगा।
14. इनके वेतन का भुगतान समिति के व्यवसाय से प्राप्त मार्जिन/प्रबन्धकीय व्यय खाते से किया जायेगा।

नाम सचिव..........................

सा0सह0समि0लि0................

कार्यालय सा0/कि0/क्षे0/सहकारी समिति लि0........................जनपद........

पत्रांक ..../नियुक्ति कर्मचारी/....................दिनांक................

प्रतिलिपि– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्री...........................पुत्र श्री...........................
   पता–...
2. सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैक लि0 ....
3. सम्बन्धित सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला सहकारी बैक लि0
4. सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता)/ अपर जिला सहकारी अधिकारी।
5. सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता।
6. सम्बन्धित उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/ संयुक्त निबन्धक सहकारिता।

सचिव.........................

सा0सह0समि0लि0...............